

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार दुबे,

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड,

७, सरदार पटेल मार्ग, पटना-८०००१५ ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना के अधीन अधिवक्ताओं के पैनल हेतु प्राप्त अनुशंसा पर विधि विभाग में गठित स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-१४४० (अनु), दिनांक-०८.०५.२०१३, १९६०(अनु०), दिनांक-१९.०७.२०१३ एवं २९३८(अनु०), दिनांक-२३.०९.२०१३

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि बिहार राज्य पुल निर्माण निगम द्वारा विधि विभाग के स्तर पर गठित स्क्रीनिंग कमिटी के अनुमोदन हेतु, दिये गये अनुशंसा एवं प्रस्ताव पर विधि विभाग के स्तर पर माननीय मंत्री, विधि, योजना एवं विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग कमिटी की दिनांक-१५.०२.२०१४ की बैठक में विचार किया गया, जिसमें आपके अनुशंसा एवं प्रस्ताव के आलोक में निम्नांकित अधिवक्ताओं का पैनल हेतु अनुमोदन किया गया:-

क्रमांक	नाम	अधिवक्ता
१	श्रीमती विनीता सिंह	अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
२	श्री नरेन्द्र कुमार सिंह	अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
३	श्री विनय कृष्ण	अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय
४	श्री सत्यदेव कुमार	अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय

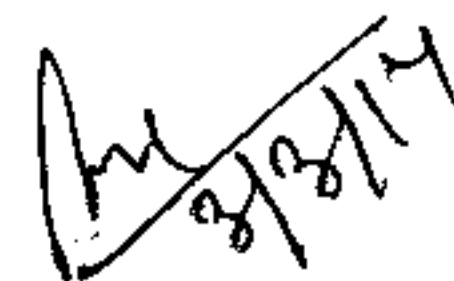
विश्वासभाजन

ह०/-उज्ज्वल कुमार दुबे

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार

ज्ञापांक.....१६०५...../जे०, पटना, दिनांक.....०३.०३/१४

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार
२५/३/१४